(22)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
59 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	13.09.2019	28.11.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री मोहित कुमार जैन पुत्र राकेश कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मामा कन्फैक्शनरी बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के पीछे ज्योति कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0
2– मैसर्स मामा कन्फैक्शनरी बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 28.11.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.06.2019 को समय 2.20 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मामा कन्फैक्शनरी बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री मोहित कुमार जैन पुत्र राकेश कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मामा कन्फैक्शनरी बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के पीछे ज्योति कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज डिजायर साल्टी लेमन ब्राण्ड (Sweetand Carbonated Beverages Dzire Salty Lemon Brand)** जिसके बैच नं. 24 व पैकिंग दिनांक 19.05.2019 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री मोहित कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता मोहित कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 250–250 मिली 24 बोतल पैक के 4 कागज के कार्टून **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज डिजायर साल्टी लेमन ब्राण्ड (Sweetand Carbonated Beverages Dzire Salty Lemon Brand)**रखे हुये मे से कुल 2 कागज के कार्टून को खोलकर ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 48 मूल पैक बोतल वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री मोहित कुमार जैन को रू0 240 / –अक्षरे दो सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक 977

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

(23)

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज डिजायर साल्टी लेमन ब्राण्ड (Sweetand Carbonated Beverages Dzire Salty Lemon Brand)** 250–250 मिली मूल पैक को बराबर–बराबर (प्रत्येक भाग मे 12–12 बोतल)ज्यो का त्यो खाकी कागज मे बांधकर चार भाग कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2209 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–09 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. मोहित कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1866 दिनांक 25.07.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1530/एक्ट/2019/1073 दिनांक 10.07.2019 अनुसार मोहित कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज डिजायर साल्टी लेमन ब्राण्ड (Sweetand Carbonated Beverages Dzire Salty Lemon Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज डिजायर साल्टी लेमन ब्राण्ड (Sweetand Carbonated Beverages Dzire Salty Lemon Brand)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज डिजायर साल्टी लेमन ब्राण्ड (Sweetand Carbonated Beverages Dzire Salty Lemon Brand)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज डिजायर साल्टी लेमन ब्राण्ड (Sweetand Carbonated Beverages Dzire Salty Lemon Brand)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf) (c) (i) 52 अप्रार्थी श्री मोहित कुमार जैन पुत्र राकेश कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मामा कन्फैक्शनरी बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के पीछे ज्योति कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0)आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

978

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.11.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2019.12.05 17:20:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: